न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 403 / 2020 **GCMS 2020/00543**

प्रार्थी

1. नाथूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी ।

प्रार्थना–पत्र नक्शा ट्रेस में शुद्वि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

आदेश

दिनॉक :– 15/04/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 0.50 हैक्टर स्थित चली आ रही है, ग्राम नारायणपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 0.50 हैक्टर के नवीन खसरा नम्बर 384 / 324 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 324 रकबा 0.30 हैक्टर कायम हुए है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 0.50 हैक्टर स्थित चली आ रही थी जो कि एक ही चक में रही थीं उसमें उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) के द्वारा दिनॉक 12.06.2002 द्वारा आवंटन किया गया 0.50 हैक्टर बारानी प्रथम मे सें 0.20 हैक्टर का रोड़ मध्य से 50 गज छोड़ते हुए नामान्तरकरण खोला गया है, उपरोक्त भूमि में से 0.20 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण भरा जाकर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है व नक्शा ट्रेस में तरमीम निम्न प्रकार से होना चाहिए था जिसका नजरी नक्शा निम्नवत है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपर वर्णित नक्शानुसार नक्शा दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, वर्तमान में मौके पर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है और

उपखण्ड अधिकारी

काबिज अनुसार ही नक्शा ट्रेस तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्वि किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान फरमावें।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी ने उपस्थित होकर जवाब दिनॉक 04.03.2021 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2046—2065 के अनुसार खसरा नम्बर 324 रकबा 0.50 हैक्टर कृषि योग्य भूमि (सिवायचक काबिल काश्त) दर्ज था, जिसके नवीन खसरा नम्बर 324 रकबा 0.30 हैक्टर, सिवाय चक राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 384 / 324 रकबा 0.20 हैक्टर प्रार्थी नाथूराम की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी को जिस आवंटन आदेश से भूमि आंवटन की है उसके अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में नक्शा शुद्वि का आदेश दिया जावे, शेष पैरा प्रार्थी स्वयं सिद्व करे एवं न्यायालय से संबंधित है। प्रार्थी की ओर से नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2076—2079 ग्राम नारायणपुरा के खाता संख्या 67 खसरा नम्बर 384 / 324 की नकल, खाता नम्बर 1 की नकल, नामान्तरकरण स्वीकृति दिनॉक 01.08.2003 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा जारी आंवटन आदेश की नकल प्रस्तुत की है।

प्रकरण में प्रार्थी वकील को सुना गया, जिसने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नक्शा ट्रेस में शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किय गया जमाबन्दी नकल सम्वत 2076—2079 ग्राम नारायणपुरा के खाता संख्या 67 खसरा नम्बर 384 / 324 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी प्रथम में नाथूराम पुत्र मोहनराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 324 रकबा 0.30 बारानी प्रथम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश एवं उसमे अंकित भूमि का नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। वरवक्त आवंटन आदेश अनुसार ही प्रार्थी को कब्जा संभलाया गया तथा प्रार्थी उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता आया है, प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ली गई, तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि वह मौके पर उपरोक्त खसरा पर पश्चिम से पूर्व की ओर काबिज है जबकि नक्शा ट्रेस में उसका खसरा नं. 384 / 324 उत्तर से [illegible] के पीछे गलत रूप से तरमीम किया गया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी को रोड़ के मध्य से छोड़कर भूमि आवंटित की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी को आवंटित भूमि को नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय त्रुटि हुई है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित है, इस प्रकार प्रार्थना—पत्र प्रार्थी साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 384 / 324 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 324 रकबा 0.30 हैक्टर का नक्शा ट्रेस में निम्नवत तरमीम शुद्दि किया जाकर तहसीलदार कुचामनसिटी पालना प्रस्तुत करे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

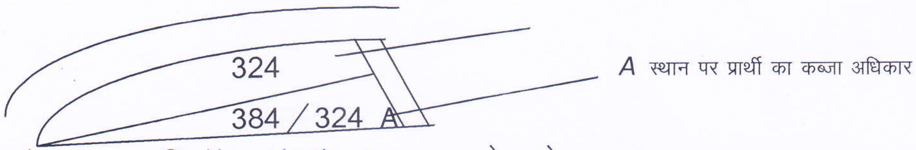

आदेश आज दिनॉक 15.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested